राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 259/2010/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वार्ड–प्रथम, वृत–द्वितीय, राज. जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मॉ अम्बे कार्गो मूवर्स,
डी–17, हरे कृष्णा एस्टेट, सरखेज रोड, अहमदाबाद। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी बावजूद अखबार प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 19/09/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 07/आरवेट/एनआरडी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–तृतीय, राज., जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दि. 20.03.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6)(12) के तहत आरोपित कर 2,04,137/– एवं शास्ति 6,03,874/– कुल राशि 8,08,012/– को अपास्त करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 21.02.2009 को सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन संख्या एचआर 61/2719 को अजमेर रोड, जयपुर के पास चेक किया गया। वक्त चैकिंग वाहन में परचून माल दिल्ली से सरखेज के परिवहनित किया जा रहा था। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष चालान संख्या 115,116 दिनांक 20.02.2009 एवं उसमें दर्ज बिल एवं बिल्टियॉ प्रस्तुत की गई। संदेह के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में दिनांक 27.02.2009 को मॉ अम्बे कार्गो मूवर्स, अहमदाबाद की ओर से श्री निरंजन गुप्ता, मैनेजर ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अभियोग में उन्हें पार्टी स्वीकार किया जावे एवं माल प्रभारी श्री बलबीर सिंह को जारी नोटिस निरस्त किया जावे एवं माल प्रभारी के रूप में आगे की समस्त कार्यवाही प्रत्यर्थी के साथ की जावे। तत्पश्चात प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी अम्बे कॉर्गो मूवर्स अहमदाबाद ने जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर, कर निर्धारण अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 76(6)(12) के तहत कर 2,04,137/– एवं शास्ति

लगातार.....2

6,03,874/– कुल राशि 8,08,012/– को अपास्त करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

3. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी बावजूद अखबार प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित रहा है।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है। उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार कर, प्रत्यर्थी के विरूद्ध कर व शास्ति का आरोपण किया है, जो विधिसम्मत है। उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य के बाहर दिल्ली से, राज्य के बाहर गुजरात को परिवहनित माल पर कर व शास्ति का आरोपण किया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह कही भी प्रमाणित नहीं किया गया है कि माल राजस्थान राज्य में कही से लोड किया गया है अथवा कही पर उतारा/ बेचा गया है। यदि माल का परिवहन राज्य के बाहर से अन्य राज्य को राजस्थान राज्य के बाहर परिवहनित किया जा रहा हो व माल को राजस्थान राज्य में कहीं उतारा अथवा बेचा नहीं गया हो, साथ ही राजस्थान राज्य के बाहर माल का गंतव्य पर पहुंचने के प्रमाण प्रस्तुत कर दिये गये है तो ऐसी स्थिति में केवल अनुमान के आधार पर, कर व शास्ति का आरोपण किया जाना पूर्णतया अविधिक एवं अनुचित है। निर्धारण अधिकारी ने माल राजस्थान में उतारने/बेचने के बारे कोई जांच नहीं की है व न ही कोई प्रमाण एकत्र किया गया है।

6. फलतः विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है। तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 13.07.2009 की पुष्टि की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष